

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

23012/01/2015-आ.भा.से.-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 7 जून, 2016

अधिसूचना

श्रीमती प्राजक्ता रामचंद्र लावांगर, आई.ए.एस (एमएच: 2001) को अपना नाम श्रीमती प्राजक्ता रामचंद्र लावांगर से बदलकर श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उन्हें श्रीमती प्राजक्ता एल. वर्मा के रूप में जाना जाएगा।



(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा)